न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2025-94Ju2025-51 Tilaram Vs Alasiram etc

तिलाराम पुत्र पूनाराम, जाति मेघवाल, निवासी– ग्राम पड़ियाल, तहसील व जिला फलोदी, राज.।

अपीलाण्ट......

ब
ना
म

01. अलसीराम पुत्र पुनाराम
02. केशरराम पुत्र पुनाराम
03. जगदीश पुत्र पुनाराम
04. धन्नाराम पुत्र पुनाराम
05. हड़मानराम पुत्र पुनाराम
06. पुनाराम पुत्र फुसाराम(फौत)
    सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण– ग्राम पड़ियाल, तहसील व जिला फलोदी, राज.।
07. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी, जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 04 मई 2018 राजस्व मूल वाद संख्या 65/2017 अलसीराम बनाम पुनाराम इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री भानू, अधिवक्ता–रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या सात

नि र्ण य

दिनांक : 06 जून 2025

अपीलार्थी ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 65/2017 अनवान अलसीराम बनाम पुनाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 28 फरवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 534/5 रकबा 80.03 बीघा, खसरा नंबर 536/7 रकबा 40 बीघा, खसरा नंबर 535/1 रकबा 60.08 बीघा ग्राम पड़ियाल तहसील फलोदी के संबंध में धारा 88 एवं 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उभय पक्ष की ओर से वाद में राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा विचारण न्यायालय द्वारा माफिक राजीनामा उभय पक्ष को सुनकर वाद के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2018 के जरिये वाद स्वीकार कर लिया, जिसके विरूद्व आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 22 मई 2025 को उभय पक्ष स्वयं एवं उनके अधिवक्तागण द्वारा राजीनामा पेश किया गया, जिसे बाद तस्दीक रिकॉर्ड पर लिया जाकर शामिल पत्रावली किया गया, जिस पर बहस सुनी गई।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण ने अपनी संयुक्त बहस में राजीनामे में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हस्तगत अपील में अपीलांट तिलाराम तथा रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच अलसीराम, केशराराम, जगदीश, धन्नाराम व हड़मानराम ने चार मौजिज व्यक्तियों के कहने से आपस में राजीनामा कर विवादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा कर लिया है। अपीलार्थी तिलाराम के बंट में खसरा संख्या 534/5 रकबा 80.03 बीघा में सें 13.03 बीघा भूमि, खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 18.05 बीघा कुल रकबा 31.08 बीघा भूमि रखी गई है। प्रत्यर्थी संख्या एक अलसीराम के बंट में खसरा संख्या 536/7 रकबा 40 बीघा में सें 25 बीघा जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अलसीराम के नाम ही दर्ज है। खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 6.13 बीघा भूमि कुल रकबा 31.13 बीघा भूमि रखी गई है। प्रत्यर्थी संख्या 02 केसाराम के बंट में खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 8 बीघा भूमि, खसरा नंबर 534/5 रकबा 80 बीघा में सें 8 बीघा भूमि व खसरा नंबर 536/7 रकबा 40 बीघा में सें 15 बीघा भूमि जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में केसाराम के नाम ही दर्ज है, कुल रकबा 31 बीघा भूमि केसाराम के बंट में रखी गई है। प्रत्यर्थी संख्या 03 जगदीश के बंट में खसरा

नंबर 534/5 रकबा 80 बीघा में सें 23 बीघा भूमि खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 8.06 बीघा भूमि, कुल रकबा 31.06 बीघा भूमि बंट में रखी गई है। प्रत्यर्थी संख्या 04 धन्नाराम के बंट में खसरा नंबर 535/5 रकबा 80 बीघा में सें 13 बीघा, खसरा नंबर 534 की 10 बीघा भूमि जो वर्तमान में राजस्व रेकर्ड में धन्नाराम के नाम ही दर्ज है। खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 8.13 बीघा भूमि, कुल रकबा 31.13 बीघा भूमि बंट में रखी गई है। प्रत्यर्थी संख्या 05 हड़मानराम के बंट में खसरा नंबर 534/4 रकबा 80 बीघा में से 23 बीघा भूमि, खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 8.13 बीघा भूमि, कुल रकबा 31.13 बीघा भूमि बंट में रखी गई है। इसी अनुसार ही उक्त भूमि पर हमारा हक है। इसी अनुसार मौके पर प्रत्येक का कब्जा काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक अलग–अलग चला आ रहा है। नजरी नक्शा संलग्न पेश है, जो इस राजीनामा का भाग है।

अंत में उभय पक्ष ने अनुरोध किया कि राजीनामा स्वीकार फरमाया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 को निरस्त फरमाया जावे एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राजात् को निरस्त किये जावे एवं माफिक राजीनामा प्रत्येक पक्षकार के नाम राजस्व रेकर्ड में अलग–अलग खाता दर्ज किया जाकर राजस्व नक्शा में अलग–अलग तरमीम किये जाने का आदेश फरमावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। राजीनामा बाद सम्यक तस्दीक शामिल मिसल किया गया। उभय पक्ष द्वारा राजीनामा पेश कर माफिक राजीनामा एवं उसके साथ सलंग्न नक्शे अनुसार उभय पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से अपीलार्थी तिलाराम के बंट में खसरा संख्या 534/5 रकबा 80.03 बीघा में सें 13.03 बीघा, खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 18.05 बीघा कुल रकबा 31.08 बीघा, प्रत्यर्थी संख्या एक अलसीराम के बंट में खसरा संख्या 536/7 रकबा 40 बीघा में सें 25 बीघा, खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 6.13 बीघा कुल रकबा 31.13 बीघा, प्रत्यर्थी संख्या 02 केसाराम के बंट में खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 8 बीघा, खसरा नंबर 534/5 रकबा 80 बीघा में सें 8 बीघा भूमि व खसरा नंबर 536/7 रकबा 40 बीघा में सें 15 बीघा

कुल रकबा 31 बीघा, प्रत्यर्थी संख्या 03 जगदीश के बंट में खसरा नंबर 534/5 रकबा 80 बीघा में सें 23 बीघा, खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 8.06 बीघा, कुल रकबा 31.06 बीघा, प्रत्यर्थी संख्या 04 धन्नाराम के बंट में खसरा नंबर 535/5 रकबा 80 बीघा में सें 13 बीघा, खसरा नंबर 534 की 10 बीघा, खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 8.13 बीघा, कुल रकबा 31.13 बीघा तथा प्रत्यर्थी संख्या 05 हड़मानराम के बंट में खसरा नंबर 534/4 रकबा 80 बीघा में से 23 बीघा, खसरा नंबर 535/1 रकबा 60 बीघा में सें 8.13 बीघा, कुल रकबा 31.13 बीघा भूमि बंट रखकर पक्षकारान् के खाते अलग–अलग दर्ज कर सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम करने का अनुरोध किया। उभय पक्ष लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी समझाईश से राजीनामा एवं सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार बंटवाड़ा हेतु सहमत होने से न्याय हित में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 को खारिज किया जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाना विधिसम्मत पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट प्रस्तुत राजीनामा के अनुसरण में स्वीकार की जाती है तथा इसके परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 मई 2018 को खारिज किया जाकर **राजीनामा के पद संख्या एक से छः एवं सलंग्न नजरी नक्शों के अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या एक से पांच के हिस्से में वादग्रस्त आराजीयात रखी जाती है तथा** तहसीलदार फलोदी को निर्देश दिये जाते है कि वह माफिक राजीनामा एवं सलंग्न नक्शे अनुसार पक्षकारान् के खाते अलग–अलग कर लगान निर्धारण करते हुए राजस्व रेकर्ड में पृथक–पृथक तरमीम अंकित करें। राजीनामा एवं सलंग्न नजरी नक्शे निर्णय के अभिन्न अंग रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर